न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 31/2015 (2015/00263)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

——वादी

बनाम

1. रामलाल पिता लादू जाति भील सा. मजरा शाहपुरा
2. रमेश पिता लादू जाति भील सा. मजरा शाहपुरा
3. भंवर लाल पिता लादू जाति भील सा. मजरा शाहपुरा
4. कान्ता पुत्री धन्ना जाति भील सा. मजरा शाहपुरा
5. घीसी पत्नि धन्ना जाति भील सा. मजरा शाहपुरा
6. घन्नानाथ पिता मोडूनाथ कौम जोगी निवासी बीरवाडा
7. समरनाथ पिता बन्नानाथ कौम जोगी निवासी बीरवाडा
8. राजेन्द्रनाथ पिता बन्नानाथ कौम जोगी निवासी बीरवाडा
9. धापू बेवा बन्ना लाल कौम जोगी निवासी बीरवाडा
10. कैलाशचन्द्र पुत्र भूरालाल जाति ब्रा0 निवासी शाहपुरा मजरा
11. सीता बेवा बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुरा मजरा

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 06/04/23

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वावर्णित आराजीयात ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर मे स्थित है। आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	साबिक खसरा नम्बर	रकबा
1850	0.40	बारानी 1	2748 मि.	0.40
1853	0.30	बारानी 1	2748 मि.	0.30
1857	0.70	बारानी 1	2753	0.12
			2754 मि.	0.58
1860	0.50	बारानी 1	2754 मि.	0.50

उक्त भूमि बाबत तहसीलदार केकड़ी द्वारा दिनांक 09.07.2010 को न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत मुकदमे के अनुसार उक्त भूमि हीरा वल्द घंसा भील की होना बताते हुए कैलाश चन्द पुत्र भूरा लाल व सीता बेवा बंशीलाल कौम ब्राहम्ण को दिनांक 03.04.1967 को विक्रय कर दिया। यह विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के उलंघन में अनुसूचित जाती से स्वर्ण जाति को किया गया अवैध हस्तांतरण है तथा अगले पेरे में यह भी लिखा है कि कैलाश पुत्र भूरा व सीता बेवा बंशीलाल ने भी उक्त भूमि बजरिये रामस्वरूप पुत्र भूरा लाल ब्राहम्ण निवासी शाहपुरा ने धन्ना व बन्ना पिसरान मोडू नाथ निवासी बीरवाडा को 07.08.1968 को विक्रय कर दिया। वादवर्णित आराजीयात में से खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.40, 1853 रकबा 0.30

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

धन्ना पिता मोडूनाथ वगैरह को बैचान करना बताया तथा यह भी लिखा कि वर्तमान रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1850 व 1853 व 1857 व 1860 रामलाल, रमेश, भंवरलाल पिरारान लादू, घीसी पत्नि धन्ना कान्ता पुत्री धन्ना भील के खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि को राजकीय भूमि अवाप्त करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। लेकिन मामले में सही ढंग से तामील नही करवाई गई। अप्रार्थी धन्ना नाथ वक्त मुकदमा अजमेर जैल में होना लिखा गया है। अप्रार्थी रामलाल मुकदमा दायरी से पूर्व फौत हो चुका था। मामले में उपस्थित अप्रार्थीगण की ओर से 15.01.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के वकील ने प्रारम्भिक आपत्ति लिखित में पेश की लेकिन उक्त मुकदमें में पूर्व में एकपक्षीय निर्णय बिना अप्रार्थीगण को सुने दिनांक 16.06.2015 को दिया गया जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 9 नियम 13 के आवेदन पर बाद सुनवाई न्यायालय ने लिखित आदेश दिनांक 11.03.2020 द्वारा उक्त एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करते हुए आदेश 9 नियम 13 का स्वीकार कर निर्णय दिनांक 16.06.2015 एवं इस निर्णय के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

उपस्थित प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति पर सुनवाई का निवेदन किया गया तथा विशेष तोर से आक्षेप उठाया गया कि उक्त मुकदमा अवधि वर्जित होने से तथा कानूनन चलने योग्य न होने से अव्वल प्रारम्भिक आपत्ति पर दोनो पक्षों को सुनकर समुचित आदेश दिया जावे। दोनो पक्षों को सुना गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि धारा 175 आर.टी.ए. का मुकदमा दायर करने की मयाद 30 वर्ष है जैसा कि टिनेन्सी एक्ट के शिड्यूल 3 क्रम 66 धारा 175 के मामले में अवधि 30 वर्ष है तथा उक्त अवधि सम्पत्ति हस्तांतरण की दिनांक से प्रारम्भ व मान्य होगी। वकील प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि मूल वाद की अवधि किसी भी सूरत में नही बढाई जा सकती है। उन्होने ने अपने तर्को के समर्थन में आर.बी.जे. 2014 पेज नम्बर 740 माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिविजनल बैंच का निर्णय रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट है कि धारा 175 के मुकदमें को 30 वर्ष बाद मियाद बाहर माना है जबकि हस्तगत प्रकरण कथित बैचान दिनांक 03.04.1967 के 43 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जो गलत है।

वकील प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि मृत व्यक्ति प्रतिवादी नम्बर 1 रामलाल के वारिसान को पक्षकार न बनाये जाने से उक्त प्रकरण न तो पेश होने योग्य था और न ही चलने योग्य है। वकील प्रतिवादीगण की मुख्य आपत्ति यह रही कि वादवर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 1850 व 1853 कुल रकबा 0.70 हैक्ट जो कि रामा पुत्र धन्नालाल भील निवासी ग्राम कादोलाई तहसील भिनाई ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा तात्कालीन खातेदारान रामलाल, रमेश, भंवरलाल, घीसी, कान्ता से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। उक्त रामा भील के पक्ष में समस्त न्यायालयों से अन्तिम व प्रभावी निर्णय होने के बावजूद उसे खातेदारी दर्ज करने के अधिकार से वंछित करने की नियत से गलत व अवैध ढंग से उक्त मुकदमा प्रस्तुत किया क्योंकि सिविल कोर्ट व अपीलांट कोर्ट ए.डी.जे. केकड़ी द्वारा धन्ना नाथ वगै बनाम रामलाल वगै. उनवानी अपील में रेस्पोडेंट संख्या 6 रामा भील के पक्ष में किया गया है। उक्त विक्रय पत्र को सही माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय सिविल कोर्ट केकड़ी वरिष्ठ खण्ड के निर्णय की पुष्टि की है। वकील प्रतिवादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर व कानूनी नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसमें जमाबन्दी संवत 2062 से 64 में उक्त भूमि का खातेदार हीरा वल्द घीसा दर्ज है। इसके अलावा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बहक

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

रामा भील दिनांक 13.02.2006 की फोटो प्रति प्रस्तुत है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1850 व 1853 रामा भील ने क्रय किये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की डिक्री दिनांक 16.05.2007 जिसके तहत धन्ना नाथ का उक्त भूमि बाबत वाद खारिज किया गया है। सिविल कोर्ट वरिष्ठ खण्ड केकड़ी वाद संख्या 2/06 धन्ना नाथ बनाम रामलाल वगै. की डिक्री दिनांक 13.05.2008 प्रस्तुत की जिसके अनुसार धन्नानाथ वगै का वाद खारिज किया गया। इसके अलावा खसरा नम्बर 1850 व 1853 के बाबत दिनांक 11.06.2016 को रामा बनाम नौरती बेवा रामलाल भील व अन्य के मामले में रामा भील के पक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का निर्णय पारित किया गया। इसी भूमि के मामले में धन्नानाथ वगै ने पूर्व में भी उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु जवाब दायर किया था जो वाद दिनांक 04.02.1997 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज किया जिसकी अपील संख्या 29/99 धन्ना नाथ बनाम कैलाशचन्द वगै आर.ए.ए. कोर्ट अजमेर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2000 द्वारा उक्त धन्नानाथ वगै की अपील खारिज की और उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा गया। इसके अलावा दिनांक 16.05.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा धन्नानाथ बनाम रामलाल वगै का वाद व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया।

आर.ए.ए. कोर्ट अजमेर के निर्णय व डिक्री, सिविल कोर्ट केकड़ी के निर्णय व डिक्री तथा एडीजे कोर्ट केकड़ी के निर्णय व डिक्री एवं न्यायिक नजीरों का सारगर्भित अवलोकन किया गया। एडीजे कोर्ट केकड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 अंतिम व प्रभावी है क्योंकि इस निर्णय की धन्नानाथ वगै अपीलांट ने उच्च न्यायालय में कोई द्वितीय अपील दायर नही की है। ऐसी सूरत में धन्ना नाथ वगै का रामा भील कादोलाई के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2006 को न्यायालय ने खारिज नही किया, वैध व सही दस्तावेज माना है एवं धन्नानाथ वगै ने राजस्व न्यायालयों में उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की घोषणा आदि के दावे व अपीले की, वे समस्त खारिज हो चुकी है।

पेरोकार सरकार को सुना गया। पेरोकार सरकार ने इस हद तक तो माना है कि धारा 175 का मुकदमा दायर करने की कानूनी मियाद 30 वर्ष है लेकिन तहसीलदार केकड़ी को जानकारी ना होने से उक्त मुकदमा वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया तथा यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल भील के वारिसान की जानकारी ना होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया।

वकील प्रतिवादी ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया कि उक्त भूमि को लेकर करीब विगत 40 वर्षो से विभिन्न न्यायालयों में दावे व अपील आदि चलती रही जिन सभी मामलों में तहसीलदार प्रतिवादी अथव रेस्पोडेंट की हैसियत से पक्षकार दर्ज है। अतः पैरोकार सरकार का यह कहना कतई स्वीकार योग्य नही है कि उन्हे वर्ष 2010 से पहले उक्त मामले की जानकारी ना हो। इसके अलावा वकील प्रतिवादीगण की आपत्ति है कि आवश्यक पक्षकार वास्तविक क्रेता रामा भील कादोलाई को सभी न्यायालयों से जीतने के बाद खातेदारी नामान्तकरण से वंछित रखने की नियत से यह झूठा व निराधार मामला तहसीलदार द्वारा दायर किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त दायरी मुकदमा प्रतिवादी नम्बर 1 रामलाल भील फौत हो चुका था। तहसीलदार को वर्ष 1997 के पूर्व से ही इस मामले की जानकारी है। वकील प्रतिवादीगण ने यह भी आक्षेप उठाया है कि कथित बैयान जो हीरा वल्द हंसा भील द्वारा 13.04.1667 को जो विक्रय कैलाशचन्द व सीता देवी के पक्ष में करना बताया है लेकिन वास्तव में हीरा

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वल्द हांसा के नाम कोई जमाबन्दी नही है बल्कि हीरा वल्द घीसा के नाम जमाबन्दी है। तथा उक्त रामलाल, रमेश, भंवरलाल वगै हीरा वल्द घीसा के वारिसान है जैसा कि पत्रावली व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व जमाबंदी में दर्ज सजरा से भी बिल्कुल स्पष्ट है।

मूल वाद की मियाद किसी भी सूरत में बढाये जाने का कानून में कोई प्रावधान नही है, ऐसी सूरत में तहसीलदार केकड़ी द्वारा उक्त मुकदमा पूर्णतया गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया तथा इस तथ्य पर भी निवेदन किया कि उक्त वाद में आधारित विक्रयपत्र दिनांक 13.04.1967 कान्ट्रेक्ट एक्ट (संविदा अधिनियम) के तहत भी प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है क्यूंकि उक्त विक्रयपत्र नाबालिगान कैलाशचन्द व सीता के पक्ष में किया गया जबकि नाबालिगान के पक्ष में बिना उनके वली संरक्षक का नाम दर्ज किये विक्रय नही किया जा सकता है। इस तथ्य की ताईद के बारे में वकील प्रतिवादीगण पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1968 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जिसमें उक्त कैलाशचन्द व सीता को नाबालिगान जरिये रामस्वरूप वल्द भूरालाल ब्राहम्ण निवासी शाहपुरा ने दिनांक 07.06.1968 को धन्ना व बन्ना नाथ के पक्ष में द्वितीय विक्रयपत्र करवाया जबकि दिनांक 07.06.1968 को उक्त कैलाशचन्द व सीता नाबालिग थे तो सवा साल पहले 13.04.1967 को प्रथम विक्रय पत्र के समय अवश्य ही नाबालिग थे। पेरोकार सरकार द्वारा देरी के संबंध में जो निवेदन किया वह स्वीकार योग्य नही है। तहसीलदार जो कि स्वयं कानून का जानकार है उक्त प्रकरण संबंधी सभी मामलों में विगत करीब 30 वर्षो से पक्षकार रहा है। अतः यह तथ्य स्वीकार योग्य नही है कि तहसीलदार केकड़ी को उक्त हस्तांतरण की जानकारी वर्ष 2010 से पूर्व नही थी जबकि तहसीलदार केकड़ी द्वारा उपपंजीयक की हैसियत से वाद भूमि में से 1850 व 1853 का विक्रयपत्र बहक रामा भील पंजीपबद्ध किया गया। वकील प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वास्तविक क्रेता रामा भील ने अपने जीवन की संचित आय से राशि जोडकर उक्त भूमि खरीद की तथा विगत करीब 15 वर्षो से कानूनी लडाई लडता आ रहा है। ऐसी सूरत में उक्त रामा भील को उसकी उक्त भूमि व खातेदारी अधिकारों से वंचित करना न्याय का हनन होगा। रामा भील जो कि अनुसूचित जनजाति का गरीबी रेखा से नीचे अनपढ व गरीब किसान है ऐसी सूरत में उक्त रामा भील निवासी कादोलाई जो कि बोनाफाईड खरीददार एवं खसरा नम्बर 1850 व 1853 का वास्तविक सद्भाविक क्रेता है उसे उक्त भूमि के हक अधिकारों से वचित नही किया जा सकता है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड व नजीरों का अवलोकन करने व दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों स्वीकार करते हुए वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2020 के अनुसार इस प्रकरण में एकपक्षीय निर्णय दिनांक 16.06.2015 के तहत की गई समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है एवं इसी अनुसार तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिये जाते है। वास्तविक व सद्भाविक क्रेता रामा पुत्र धन्ना भील निवासी कादोलाई अपने विक्रयपत्र अनुसार नामांतकरण की कार्यवाही कर सकेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विकास पंचोली
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner